आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–63 / 2023

28.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिनिधि के रूप में श्री विकास कुमार वर्मा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने अपना लिखित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप जाँच में सही नहीं पाये गये हैं।

न्याय के हित में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन की प्रति एवं उसके साथ अनुलग्नक की सभी प्रति वाट्सएप्प के माध्यम से अपीलकर्ता को भेजा जा रहा है। आयोग अपीलकर्ता से आग्रह करता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक का अध्ययन कर यह देखें कि उनके द्वारा लगाये गये आरोपों के विरूद्ध जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं ? अपीलकर्ता ने तथ्यों के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को गलत प्रमाणित कर दिया तो फिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। अपीलकर्ता से आग्रह है कि वे अगली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 से 07 दिन पूर्व अपना पक्ष भेजें ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण 11 जनवरी से पहले मांगा जा सके।

मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx142